संख्या-2/2025/923227/2025/002-1-62-27-11-2025

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रशासक,
ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना,
23-सी गोखले मार्ग,
लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक 2705 के अंतर्गत 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान एवं 49-चिकित्सा व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-168/दो-वित्त(लेखा)/काडम बजट 2705/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 27 फरवरी, 2025 एवं तदविषयक पत्र दिनांक 06-03-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्ष-2705-कमान क्षेत्र विकास-800 कमान क्षेत्र विकास-03 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना के अन्तर्गत मानक मद-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा मानक मद-49-चिकित्सा व्यय में व्यय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार कुल धनराशि रू0 68,63,000/- (रुपये अड़सठ लाख तिरसठ हजार मात्र) अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना, लखनऊ को अग्रेतर उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित/अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) ग्रेटर शारदा सहायक समादेश जिस मद से पुनर्विनियोग करा रहे हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की माँग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है, उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर लिया जायेगा और उपरोक्त स्वीकृति/आवंटन इस शर्त के अधीन भी होगा कि उक्त मदों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2025 तक ही व्यय किया जायेगा। उक्त धनराशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासन से निर्गत शासनादेशों में विहित व्यवस्था के अनुसार आहरित एवं वितरित की जायेगी।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 तथा अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195 /दस- 16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) जिन मदों में धनराशि पुनर्विनियोग कराई जा रही है, धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

(8) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का पूर्ण दायित्व ग्रेटर शारदा सहायक समादेश का होगा।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्यता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 9,38,000 (रुपये नौ लाख अड़तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 012 लेखा शीर्षक 2705008000300 ग्रोटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी / परियोजना मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान (2) रुपये 59,25,000 (रुपये उनसठ लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 012 लेखा शीर्षक 2705008000300 ग्रोटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी / परियोजना मानक मद 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by
Rajeev Kumar Vatsya
(राजीव कुमार वत्स)
Date: 29-03-2025 18:54:13
संयुक्त सचिव,

संख्या-2/2025/923227/2025/002-1-62-27-11-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(3) उप सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, (कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विंग) कृषि भवन, नई दिल्ली।

(4) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(5) विशेष सचिव/बजट अधिकारी, वित्तविभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) अनु सचिव(लेखा/नोडल) अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/8, उ0प्र0 शासन।

(9) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।

(10)नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(11)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Shitala Prasad
Date: 09-03-2025 18:57:03

(शीतला प्रसाद)
अनुभाग अधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A027-20242025-62-27-11-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक 2705 के अंतर्गत 16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान एवं 49-चिकित्सा व्यय मद मे पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटित करने विषयक।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
012	2705008000300 (ग्रोटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी / परियोजना)	01 (वेतन)	66,80,00,000 रुपये छियासठ करोड़ अस्सी लाख मात्र	68,63,138 रुपये अड़सठ लाख तिरेसठ हजार एक सौ अड़तीस मात्र	-68,63,138 रुपये अड़सठ लाख तिरेसठ हजार एक सौ अड़तीस मात्र	6863000 -	66113700 -	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
012	2705008000300	16	15,00,000	9,38,072	938000	2438000	2024-2025

	(गोटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी / परियोजना)	(व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	रुपये पन्द्रह लाख मात्र	रुपये नौ लाख अड़तीस हजार बहत्तर मात्र			
012	2705008000300 (गोटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी / परियोजना)	49 (चिकित्सा व्यय)	1,70.00,000 रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र	59,25,066 रुपये उनसठ लाख पच्चीस हजार छियासठ मात्र	5925000	22925000	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ- 5 में अंकित वचत निम्नलिखित कारणों से है:-

(i) उक्त मद में अधिकारियों/ कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने एवं नवनियुक्ति न होने के कारण वचत हो रही है।

2- स्तम्भ-13 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-14 में अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(i) आवश्यकता से कम प्रावधान होने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उत्तर प्रदेश वजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिवन्धों/ परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-<1892>-2024-25, दिनांक- 29 मार्च, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0 प्रयागराज।

(राजीव कुमार वत्स)

संयुक्त सचिव

Signed by

Dr. Ramesh Chandra Tiwari

रमेश चन्द्र तिवारी

Date: 29-03-2025 14:05:18

संख्या : A027-20242025-62-27-11-2025 / / / दिनांक- 29 मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/8, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से

(राजीव कुमार वत्स)
संयुक्त सचिव